न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 15/2020

जीसीएमएस आईडी :– 2020/00164

1. हरजिन्द्र कौर पत्नी मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एनजैडपीए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–प्रार्थी

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र बागाराम जाति नायक निवासी 6 एनजैडपी ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए(1)आरटीएक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री परमजीत सिंह मेहरा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अजय धारणियां, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार

–:निर्णय:–

दिनांक : 05.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत कर अपनी कृषि भूमि चक 6 एसटीबी बी तहसील श्री विजयनगर का खाता सं. 78/69 मु.नं. 12 में कुल 2.365है0 नहरी भूमि में पहुंचने के लिए व कृषि यंत्र लाने व ले जाने हेतु आवागमन के लिए अप्रार्थी नत्थूराम की भूमि चक 6 एनजैडपी ए के खाता सं. 32/34 मु.नं. 33 प.नं. 218/369 के कि.नं. 5 की नुक्कर/कोना पूर्वी दक्षिणी 12 गुणा 12 फीट, कि.नं. 6 व 15 में पूर्व की ओर डेढ डेढ बिस्वा भूमि में रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र बाबत राजीनामा भी पेश किया है, जिसमें अंकित हैं कि उक्त किलाजात में रास्ता स्वीकृति के बदले अप्रार्थी कोई प्रतिकर/क्लेम राशि प्राप्त नहीं करना चाहता हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष बाबत रास्ता स्वीकृत करने स्वीकार किया जाता हैं तो अप्रार्थी को कोई एतराज व आपत्ति नहीं हैं।

तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2021/06 दिनांक 01.01.2021 अनुसार वादीगण का रकबा चक 6 एसटीबी बी तहसील श्रीविजयनगर के प.नं. 217/369 मु.नं. 12 में कुल 2.365है. नहरी भूमि प्रार्थना पत्र में बताई हैं। अतः वादी द्वारा चक 6 एसटीबी बी तहसील श्रीविजयनगर के प.नं. 217/369 मु.नं. 12 में ही रास्ता दिया जाना उचित हैं।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 6 एनजैडपी ए के खाता सं. 32/34 मु.नं. 33 प.नं. 218/369 के कि.नं. 5 की नुक्कर/कोना पूर्वी दक्षिणी 12 गुणा 12 फीट, कि.नं. 6 व 15 में पूर्व की ओर डेढ डेढ बिस्वा भूमि में रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी रास्ता स्वीकृति के बदले मुआवजा की एवज में कोई प्रतिकर नहीं चाहते हैं।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अंकित किया गया हैं कि वादीगण का रकबा चक 6 एसटीबी बी तहसील श्रीविजयनगर के प.नं. 217/369 मु.नं. 12 में कुल 2.365है. नहरी भूमि प्रार्थना पत्र में बताई हैं। अतः वादी द्वारा चक 6 एसटीबी बी तहसील श्रीविजयनगर के प.नं. 217/369 मु.नं. 12 में ही रास्ता दिया जाना उचित हैं। चूंकि प्रकरण में प्रार्थीगण आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। ऐसे स्थिति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत होगा।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 6 एनजैडपी ए के खाता सं. 32/34 मु.नं. 33 प.नं. 218/369 के कि.नं. 5 की नुक्कर/कोना पूर्वी दक्षिणी 12 गुणा 12 फीट, कि.नं. 6 व 15 में पूर्व की ओर डेढ डेढ बिस्वा भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर उक्तानुसार स्वीकृतशुदा गैर.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 05.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.14 16:16.23 IST
Reason: SelfAttested

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner